

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 जनवरी 2018—पौष 16, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी, 2018

क्र. 324-4-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 जनवरी, 2018 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१८

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१७

[दिनांक ४ जनवरी, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ जनवरी, २०१८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा ३०१ में, उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(५) ऐसे मालमों में, जहां रजिस्ट्रीकृत तथा प्राधिकृत वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर द्वारा धारा २९४ की उपधारा (५) के उपबंधों के अनुसार भवन अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां ऐसे वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर, कानूनी उपबंधों तथा भवन अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात्, ऐसे भवन के लिए पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी करने हेतु सशक्त होंगे. इस उपधारा के अधीन जारी पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा की एक प्रति आयुक्त को उसके कार्यालय में सात दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी.”

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३७ सन्
१९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा १९१ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(३) ऐसे मामलों में, जहां रजिस्ट्रीकृत तथा प्राधिकृत वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर द्वारा धारा १८७ की उपधारा (३क) के उपबंधों के अनुसार भवन अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां ऐसे वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर, कानूनी उपबंधों तथा भवन अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् ऐसे भवन के लिए पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी करने हेतु सशक्त होंगे. इस उपधारा के अधीन जारी पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा की एक प्रति परिषद् कार्यालय में सात दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी.”

निरसन
व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ६ सन् २०१७) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2018

क्र. 324-4-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 2 OF 2018

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 4th January, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th January, 2018.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017. Short title.

PART I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 OF 1956)

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in section 301, after sub-section (4), the following new sub-section shall be added, namely:- Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

“(5) In respect of cases, where building permission has been granted as per the provisions of sub-section (5) of section 294, by the registered and authorised architect or structural engineer, such architect or structural engineer shall be empowered to issue completion certificate and permission to occupy for such building after ensuring the compliance of statutory provisions and conditions of building permission. The copy of completion certificate and permission to occupy issued under this sub-section shall be provided to the Commissioner at his office within seven days.”.

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 OF 1961)

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in section. 191, after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely:- Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

“(3) In respect of cases, where building permission has been granted as per the provisions of sub-section (3A) of section 187, by the registered and authorised architect or structural engineer, such architect or structural engineer shall be empowered to issue completion certificate and permission to occupy for such building after ensuring the compliance of statutory provisions and conditions of building permission. The copy of completion certificate and permission to occupy issued under this sub-section shall be provided to Council at his office within seven days.”.

4.(1) The Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2017 (No. 6 of 2017) is hereby repealed. Repeal and saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.